प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन सं0–02/2024 वन स्टॉप सेन्टर, सुपौल अंतर्गत **बहुउद्देशीय कर्मी/रसोईया एवं सुरक्षा प्रहरी/रात्रि प्रहरी** का पद एक से अधिक रहने के कारण सरकार के सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 21485, दिनांक 22.11.2023 के आलोक में, ''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2023 (बिहार अधिनियम, 19/2023)'' के तहत रोस्टर क्लीयरेन्स के उपरान्त उक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन सं0–02/2024 प्रकाशित कराया गया।

उल्लेखनीय है कि CWJC No-16760/2023 (गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा सम्बद्ध सभी अन्य मामलों में दिनांक 20.06.2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम–18, 2023 तथा बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2023 (बिहार अधिनियम 19/2023) को **Set aside** कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2024 को पारित उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (C) दायर किया गया है।

इस चयन की कारवाई में आरक्षण का अनुपालन करने के क्रम में रोस्टर Clearance की कारवाई के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासी विभाग (समाज कल्याण विभाग) को परामर्श दिया गया है कि, ''माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर **पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान** के आलोक में विवेचित पद हेतु चयन संबंधी अग्रेतर कारवाई की जा सकती है।'' समाज कल्याण विभाग के पत्र सं0 3385 पटना, दिनांक 22.07.2024 से सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त उक्त परामर्श उपलब्ध कराते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में चयन संबंधी अग्रेतर कारवाई किये जाने का निदेश संसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में पूर्व प्रवृत आरक्षण प्रावधान के तहत इस पद हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण रोस्टर पर नियोजन की कार्रवाई इस शर्त पर की जानी है कि, उपरोक्त नियोजन बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2023 (बिहार अधिनियम 19/2023) को **Set aside** करने से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा दायर SLP (C) में भविष्य में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

उक्त के क्रम में संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 4068, दिनांक 28.08.2024 से, वर्णित रिक्त पदों पर नियुक्ति/नियोजन की कारवाई के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग से पुनः प्राप्त परामर्श अग्रेतर आवश्यक कारवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत हैः–

''माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में चयन संबंधी अग्रेतर कारवाई की जा सकती है। जहाँ तक पुराने विज्ञापन को रद्द करने का प्रश्न है, तो इसे रद्द नहीं किया जायेगा,

बल्कि पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में रोस्टर क्लीयरेंस की कारवाई करते हुए कोटिवार रिक्तियों की सूचना आवेदकों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जा सकती है।

प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में, **वन स्टॉप सेन्टर, सुपौल** अंतर्गत **बहुउद्देशीय कर्मी/रसोईया एवं सुरक्षा प्रहरी/रात्रि प्रहरी** पद के विरूद्ध संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन सं0–02/2024 के आलोक में पूर्व में आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि, पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में उक्त पदों का सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरेंस के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र0	विज्ञापन सं0–02/2024 द्वारा विज्ञापित पदों (जिनकी रिक्तियां एक से अधिक हैं) का नाम	कुल पदो की संख्या	बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2023 **(बिहार अधिनियम 19/2023)** के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार पदों की सं0 तथा कोटि	**पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान** (सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0 2622, दिनांक 26.02.2019) के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार पदों की सं0 तथा कोटि
1	बहुउद्देशीय कर्मी /रसोईया	02	01–अ0पि0वर्ग 01–अनु0जाति	01–अ0पि0वर्ग 01–अनारक्षित महिला
2	सुरक्षा प्रहरी/ रात्रि प्रहरी	03	01–अनारक्षित 01–अ0पि0वर्ग 01–अनु0जाति	01–अनारक्षित 01–अ0पि0वर्ग 01–अनारक्षित महिला

सभी संबंधितों को सूचनार्थ।

जिलाधिकारी,
सुपौल।

ज्ञापांक 1009 /जि0प्रो0, दिनांक 29/08 /2024

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/24

जिलाधिकारी,
सुपौल।